

FIN/23/8/104

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT  
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 09/2023-State Tax

Dated: 22/06/2023

No. F.3 ( 02 )/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/ 548 – In exercise of the powers conferred by section 168A of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (3 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of the Union territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and in partial modification of the notification of this Government issued vide Notification, No. 35/2020-State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No.F.3(84)/Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/288, dated 24<sup>th</sup> March, 2021 and No. 14/2021-State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3(115)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/313, dated 17<sup>th</sup> November, 2021 and No. 13/2022-State Tax, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, vide No.F.3(22)/Fin.(Exp-I)/2022-23/DS-I/818, dated 12<sup>th</sup> October, 2022, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby, extends the time limit specified under sub-section (10) of section 73 for issuance of order under sub-section (9) of section 73 of the said Act, for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilised, relating to the period as specified below, namely:-

- (i) for the financial year 2017-18, up to the 31st day of December, 2023;
- (ii) for the financial year 2018-19, up to the 31st day of March, 2024;
- (iii) for the financial year 2019-20, up to the 30th day of June, 2024.

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,



(Ravinder Kumar)  
Dy. Secretary (Exp.-I)

No. F.3 ( 02 )/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I/ 548

Dated: 22/06/2023

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
3. The Principal Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Principal Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.

6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. Joint Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
9. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
10. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
- ✓ 11. Website.
12. Guard File.



**(Ravinder Kumar)**  
**Dy. Secretary (Exp.-I)**

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वित्त (व्यय-I) विभाग  
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002


अधिसूचना संख्या- 09/2023-राज्य कर

दिनांक: २२/०६/२०२३

सं.फा.03( ०२ )/वित्त(व्यय-I)/2023-24/डीएस-I/ 5५४ : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03 ) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में सं.फा.03(84)/वित्त(व्यय-IV)/2020-21/डीएस-IV/288, तारीख 24 मार्च, 2021 में प्रकाशित इस सरकार की अधिसूचना सं. 35/2020-राज्य कर, और दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में सं.फा.03(115)/वित्त(व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/313, तारीख 17 नवंबर, 2021 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 14/2021-राज्य कर, तथा दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV में सं.फा. 03(22)/वित्त(व्यय-I)/2022-23/डीएस-I/818, तारीख 12 अक्टूबर, 2022 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 13/2022-राज्य कर, के आंशिक संशोधन में, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित, उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9) के अधीन, संदत्त किए गए या कम संदत्त किए गए कर या गलत प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए, आदेश जारी करने की, धारा 73 की उपधारा (10) के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार करते हैं, अर्थात् :—

- (i) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 31 दिसंबर, 2023 तक;
- (ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 31 मार्च, 2024 तक;
- (iii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 30 जून, 2024 तक।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

  
(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव (व्यय-I)

सं.फा.03( ०२ )/वित्त(व्यय-I)/2023-24/डीएस-I/ 5५४

दिनांक: २२/०६/२०२३

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

- 1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
- 2 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।

- 3 प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 4 प्रधान आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
- 5 माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 6 वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 संयुक्त निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 9 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
- 10 मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 11 वेब साईट।
- 12 गार्ड फाइल।



(रविन्द्र कुमार)

उप सचिव (व्यय- I)